न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 293 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 मेवसिंह पुत्र नगसिंह 2 तख्तकंवर पत्नी नगसिंह जाति राजपूत निवासी वीदासर तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।		1 मन्थन पुत्र राजेश कुमार 2 कल्पना पत्नी राजेश कुमार जाति जोशी निवासी जोशियों का उपरलावास बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर 3 स्वाति पुत्री राजेश कुमार जाति जोशी निवासी चितलवाना तहसील सांचौर जिला जालोर 4 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :–

1. श्री छैलसिंह राठौड़, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री सवाईसिंह अधिवक्ता बिफ होल्डर अप्रार्थी संख्या 01 व 02।

आदेश

दिनांक 11/06/2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एंव कब्जाकाश्त के खेत मौजा वीदासर पटवर हल्का बाडमेर मगरा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 2542 / 634 रकबा 7.5595 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के खेत मौजा वीदासर पटवर हल्का बाडमेर मगरा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 2509 / 632 में से चल रहें सरकारी रास्ते तक जाने के लिए एक मात्र रास्ता है । इसके अलावा प्रार्थीगण के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता घोषित किया जावे ताकि प्रार्थीगण अपने खेत से आम रास्ते पर जाने वाले सड़क मार्ग पर आसानी पूर्वक प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के खेत के आगे चल रहे सरकारी मार्ग पर आवागमन हेतू पहुंच सकें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता उपस्थित शेष अप्रार्थीगण ईकतरफा। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को जवाब पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, इसके बावजूद जवाब पेश नहीं किया गया अतः जवाब का अवसर बंद गया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के पत्रांक राजस्व / 251ए / 2025 / 761 दिनांक 14.05.2025 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया तथा प्रार्थीगण को अपने खसरान को जोड़ने के लिए डामर सड़क से जोड़ने के लिए न्यूनतम दूरी खसरा संख्या 2509 / 632 से होता हुआ रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 2542 / 634 तक पहुंचना उचित प्रतीत होता है। उक्त रास्ता की चौड़ाई 3 गट्ठा तथा लम्बाई 47 गट्ठा रखते हुए प्रस्तावित रास्ते में

उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

आने वाली भूमि जो मौजा वीदासर पटवार हल्का बाडमेर मगरा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 2509/632 का रकबा 0.0566 हैक्टेयर तथा साथ ही रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि की गणना की जाकर राशि का अंकन निम्न प्रकार से प्रस्तावित किया गया हैं।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई/चौडाई (गट्ठों में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)	डीएलसी दर की दुगनी राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	कल्पना पत्नी राजेश कुमार हिस्सा 1/3 जाति जोशी मन्थन पुत्र राजेश कुमार हिस्सा 1/3 जाति जोशी स्वाति पुत्री राजेश कुमार हिस्सा 1/3 जाति जोशी	2509/632	0.8094	47 गुणा 3	0.0566	925806/-

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उसे स्वीकार है तथा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने-जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है प्रार्थीगण केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। मौका रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके पर उपस्थिति होकर नही बनाई गई है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्शे का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता जो प्रार्थीगण को अपने खसरान को जोड़ने के लिए डामर सड़क से जोड़ने के लिए न्यूनतम दूरी अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के खसरा संख्या 2509/632 से होता हुआ रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 2542/634 तक पहुंचना उचित प्रतीत होता है। उक्त रास्ता की चौड़ाई 3 गट्ठा लम्बाई 47 गट्ठा हैं जिसमें खसरा संख्या 2509/632 का रकबा 0.0566 हैक्टेयर रास्ते के रूप में सबसे निकटतम आवागमन हेतु भूमि उपलब्ध है, उक्त प्रस्तावित जगह निकटतम दूरी का व उपयुक्त

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

रास्ता है, जो संलग्न नक्शा में बंरग "गुलाबी" से प्रदर्शित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251–क के तहत "प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है" जो तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण की रिपोर्ट से स्पष्ट है। प्रस्तावित रास्ता डामर रोड के नजदीक है, दूसरे रास्ते का कोई विकल्प नही है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन पत्र तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण की रिपोर्ट के परीप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरांत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा वीदासर पटवर हल्का बाडमेर मगरा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 2542/634 रकबा 7.5595 हैक्टेयर भूमि वर्तमान खसरा संख्या 3098/2542 रकबा 7.3977 हैक्टैयर में पहुँचने हेतु निम्नानुसार रास्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं :–

नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई/चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)	डीएलसी दर की दुगनी राशि
2	3	4	5	6	7
कल्पना पत्नी राजेश कुमार हिस्सा 1/3 जाति जोशी मन्थन पुत्र राजेश कुमार हिस्सा 1/3 जाति जोशी स्वाति पुत्री राजेश कुमार हिस्सा 1/3 जाति जोशी	2509/632	0.8094	47 गुणा 3	0.0566	925806/–

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को उक्त प्रस्तावित मार्ग अनुसार डीएलसी दर दुगुनी राशि के प्रार्थीगण बैंकर्स चैक पेश करें। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा सम्बन्धित खातेदारान को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 11.04.2025 के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 11/06/2025 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर